



सार्वजनिक सूचना

प्रारूप उविनिआ (टैरिफ के निर्धारण हेतु दिशा एवं शर्तें) विनियम, 2015 के सम्बन्ध में परिशिष्ट

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 61 सपटित धारा 181 के अधीन प्रदत्त शक्तियों और इस निमित्त सामर्थ्यकारी अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एवं इसके पूर्व प्रकाशन के पश्चात्, आयोग द्वारा प्रारूप उविनिआ (टैरिफ के निर्धारण हेतु दिशा एवं शर्तें) विनियम, 2015 जारी किया गया था। आयोग द्वारा उक्त प्रारूप विनियम पर निम्न परिशिष्ट जोड़ा जाना प्रस्तावित है:

“55A. Tariff Determination of Gas based generating stations: The tariff of gas based generating stations covered under the “Scheme for Utilization of Gas based power generation capacity” issued by the Government of India, Ministry of Power vide Office Memorandum No. 4/2/2015-Th.1 dated 27.3.2015 shall be determined in due consideration of the provisions of that scheme in deviation of the relevant regulations”.

- 2 प्रारूप विनियम के परिशिष्ट पर सभी स्टेकहोल्डर्स अपने सुझावों/आपत्तियों/प्रतिवेदनों, अधोहस्ताक्षरी को दिनांक 17.08.2015 तक लिखित रूप से डाक द्वारा, ई-मेल या स्वयं उपस्थित होकर उपरोक्त पते पर आयोग के विचारार्थ प्रेषित कर सकते हैं।
- 3 निर्धारित तिथि के उपरान्त प्राप्त सुझावों/आपत्तियों/प्रतिवेदनों पर विनियम को अन्तिम रूप देते समय, आयोग द्वारा विचार नहीं किया जाएगा।

सचिव